इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2022—कार्तिक 13, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2022

क्र. 6995-96-900703-22-पचास-2.—भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 एवं मॉडल संशोधन नियम, 2022 के पूर्व ही राज्य शासन द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2022 को मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया था.

भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 दिनांक 1 सितम्बर 2022 को अधिसूचित किया. उक्त संशोधित किशोर न्याय अधिनियम, 2021 के आधार पर भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 को भी दिनांक 1 सितम्बर 2022 को अधिसूचित किया गया.

राज्य शासन द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2022 को मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 के नियम 36 में संशोधन किया जाकर अधिसूचित किया गया.

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 में किये गये संशोधनों को राज्य शासन द्वारा अंगीकार किया जाना आवश्यक होने एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 में, उक्त अधिसूचित संशोधन दिनांक 7 सितम्बर 2022 में उल्लेखित प्रावधानों को यथावत् रखे जाने के उद्देश्य से राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 को मध्यप्रदेश राज्य के लिये निम्नलिखित संशोधन के साथ मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रभावशील घोषित/अंगीकृत करता है.

(क) नियम 33 की कंडिका (1) (iii) में उल्लेखित तालिका के सरल क्रमांक 15 का लोप किया जाता है.

(ख) नियम 33 की कंडिका (1) (iii) में उल्लेखित तालिका के सरल क्रमांक 16 में से (केवल शाकाहारी को) का लोप किया जाता है.

(ग) नियम 33 की कंडिका (6) (दो) का लोप किया जाता है.

(घ) नियम 33 की कंडिका (8) (तीन) का लोप किया जाता है एवं उसके स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाता है:—

"बालक के बीमार होने की स्थिति में अथवा वजन बढ़ाने अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए अतिरिक्त आहार संस्था के चिकित्सक की सलाह पर दिया जायेगा जो दैनिक राशन की परिगणना के प्रयोजनार्थ बीमार बालकों को दैनिक आहार अनुसार दिये जाने वाले निर्धारित आहार से अतिरिक्त दिया जायेगा."

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 नियम तब तक पृवत्त रहेंगे जब तक कि मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 में संशोधन कर अधिसूचित ना कर दिये जाये.

3. इन नियमों के लागू होने के पूर्व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही या जारी किये गये आदेश जहां तक वह इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई या जारी किये गये समझे जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.

उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

क्र. डी–2454.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 122 एवं धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग–चार, दिनांक 12 अगस्त, 2022 में, उक्त संहिता की धारा 122 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 27 में उप–नियम (1) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात् :–

सारणी

अनुक्रमांक (1)	प्रकरण की प्रकृति (2)	मानदेय (3)
1.	मध्यस्थता के माध्यम से समझौता होने पर	रुपए 5000/– प्रति प्रकरण
2.	संबद्ध प्रकरण	रुपए 1000/– प्रति प्रकरण, अधिकतम रुपए 3000/– के अध्यधीन रहते हुए (चाहे संबद्ध प्रकरणों की संख्या कितनी भी हो)
3.	कोई समझौता न होने की दशा में (तीन प्रभावी सुनवाईयों के बावजूद पक्षकारों के किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में असफल रहने की दशा में)	रुपए 2500 रुपए

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 28th October 2022

No.D-2454.- In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Meditation Rules, 2016, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-IV, dated 12th August, 2022 as required by Section 122 of the said Code, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 27, in sub-rule (1), for the table, the following table shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No. (1)	Nature of case (2)	Honorarium (3)
1.	On Settlement through Meditation	Rs. 5,000/- per case
2.	Connected Cases	Rs. 1,000/- per case subject to a Maximum of Rs. 3,000/- (regardless of the number of connected cases)
3.	In case of no Settlement (in case the party fail to arrive at an amicable settlement despite three effective hearings)	Rs. 2,500/-

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

क्र. डी–2456.–भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय बारह में, नियम 329 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"329 क इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का तेज एवं सुरक्षित प्रेषण (फास्टर) :

समस्त न्यायालयों के अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों तथा कार्यवाहियों के अभिलेखों की इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का तेज एवं सुरक्षित प्रेषण (फास्टर) प्रणाली के माध्यम से प्रेषित ई–प्रमाणीकृत प्रतियां, सभी कर्तव्य धारकों द्वारा उनमें अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन और उनके सम्यक् निष्पादन के लिए विधिमान्य होंगी."

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 28th October 2022

No.D-2456.- In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal) namely :

AMENDMENT

In the said rules, in Chapter XII, after rule 329, the following rule shall be inserted, namely :-

"329 A. Fast and Secured Transmision of Electronic Records (FASTER) :

The e-authenticated copies of all the interim orders, stay orders, bail orders and record of proceedings of all the Courts transmitted through Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) system shall be valid for compliance of the directions contained therein and due execution there of by all the duty holders."

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

क्र. डी–2456.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 122 तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय उन्तीस में, नियम 593 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"593 क इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का तेज एवं सुरक्षित प्रेषण (फास्टर) :

समस्त न्यायालयों के अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों तथा कार्यवाहियों के अभिलेखों की इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का तेज एवं सुरक्षित प्रेषण (फास्टर) प्रणाली के माध्यम से प्रेषित ई–प्रमाणीकृत प्रतियां, सभी कर्तव्य धारकों द्वारा उनमें अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन और उनके सम्यक् निष्पादन के लिए विधिमान्य होंगी."

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 28th October 2022

No.D-2456.- In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) and Section 23 of the Madhya Pradesh, Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in Chapter XXIX, after rule 593, the following rule shall be inserted, namely :-

"593 A. Fast and Secured Transmision of Electronic Records (FASTER) :

The e-authenticated copies of all the interim orders, stay orders, bail orders and record of proceedings of all the Courts transmitted through Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) system shall be valid for compliance of the direction contained therein and due execution there of by all the duty holders."

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.